कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

कालोनी प्रकोष्ठ (शाहपुरा)

दिनांक 22/10/16 अनुमति क्रमांक 896

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 / मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 ओर इसके अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के अधीन निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुऐः–

श्री / मेसर्स / **मेसर्स अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन** कंपनी द्वारा **पार्टनर 1) श्री संजीव अग्रवाल पुत्र श्री एस.के. अग्रवाल, 2) श्रीमती किरण अग्रवाल पत्नि श्री संजीव अग्रवाल, 3) मेसर्स अग्रवाल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.,**

निवासी : **250, सागर प्लाज, एम.पी. नगर जोन–।। भोपाल**

मोहल्ला : वार्ड : नगर : **भोपाल** तहसील : **हुजूर** जिला : **भोपाल** को

ग्राम– **बावड़िया कलां स्थित भूमि खसरा क्रमांक** 447–449 / 1 / 2, 447–449 / 2, 447–449 / 3, रकबा 0.850 हेक्टेयर (8500.00 व.मी.) की बहु इकाई आवासीय विकास हेतु विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है, कि–

(1) नगर भूमि सीमा अधिनियम तथा नियंत्रण 1976 के उल्लेखित प्रावधानो अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लेखित शर्तो का पालन करना होगा।

(2) म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत भू–व्यवर्तन की शर्तो का पालन करना होगा।

(3) म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनुमोदित मानचित्र क्रमांक **बीपीएलएलपी-2485 / एल.पी.20 / 29 / नग्रानि / जिका / 2016 भोपाल दिनांक 09 / 08 / 2016** की समस्त शर्तो का पालन करना होगा।

(4) नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्राप्त अनुमोदित मानचित्र अनुसार विकास कार्य करना होगा।

(5) बाह्य विकास जिसका विवरण कॉलोनाईजर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसका विकास उनके द्वारा स्वयं किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश दिनांक 26 / 05 / 2010 अनुसार कॉलोनी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) प्रणाली स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा एवं सेप्टिक टेंक से इफल्यूएंट को उपयुक्त स्थान पर छोड़ना होगा एवं इसका समन्वय आवश्यकतानुसार आसपास की कॉलोनियों के साथ किया जाना आवश्यक होगा।

(7) विकासकर्ता संस्था को यह बाध्यता होगी कि वह अपनी भूमि / कालोनी से सटी कालोनी / भूमि से जल, मल निकास का समन्वय करते हुए ही विकास कार्य करें एवं अनउपचारित (Untreated) जल, मल की किसी भी दशा में सार्वजनिक अथवा अन्य किसी स्वामित्व की भूमि पर प्रवाहित नहीं किया जा सकेगा।

(8) रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रावधान अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) मध्यप्रदेश नगर पालिक (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के नियम 12 सहित अन्य समस्त संबंधित शर्तों एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19 / 04 / 2012 अनुसार शर्तों का पालन कॉलोनाईजर द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

(10) नगर निगम से नियमानुसार विधिवत भवन अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जावेगा। एवं भूखण्डो के माप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की दशा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

मुख्य नगर निवेशक
नगर निगम भोपाल

अपर आयुक्त
नगर निगम भोपाल

(11) **मेसर्स अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कंपनी** द्वारा कालोनी का विकास कार्य **"सागर ईडन गार्डन फेस–।।"** के नाम से किया जावेगा इसमें कोई भी परिवर्तन बगैर पूर्व अनुमति के न किया जावे।

(12) कमजोर आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के भूखण्डो/भवनो का विकास/निर्माण सर्वप्रथम करना होगा एवं इनका आवंटन सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरांत ही मान्य किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र में दर्शित कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के प्रकोष्ठो/भूखण्डो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की दशा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगा। म.प्र. राजपत्र दिनांक 19/04/2012 के प्रावधानो के अंतर्गत कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग का निर्माण आवश्यक होगा।

(13) आपको जारी इस विकास अनुमति के साथ अनुमानित विकास कार्यों की लागत पर 01 प्रतिशत, राशि कर्मकार कल्याण उपकर के रूप में प्राप्त कर कर्मकार कल्याण मण्डल, को प्रेषित की गई है। विकास कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् विकास कार्यों के वास्तविक मूल्य की अंतिम विवरणी सचिव, कर्मकार कल्याण मण्डल को प्रस्तुत कर 01 प्रतिशत, उपकर राशि के अनुसार शेष राशि का भुगतान करना होगा अथवा अधिक जमा राशि हेतु रिफण्ड की कार्यवाही की जा सकेगी। भविष्य में अन्य किसी मद में यदि शेष राशि निकलती है, तो उसका भुगतान कॉलोनाईजर द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

(14) म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 एवं एन.बी.सी. भाग–4 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था हेतु नवीन संशोधन अनुसार नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी तथा समस्त फिटिंग स्वीकृति प्रावधान अनुसार लगाये जावेगें, तत्पश्चात् ही नियमानुसार सर्विस प्रमाण पत्र तथा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किये जा सकेगें।

(15) विकसित की जाने वाली कॉलोनी में अनुबंध की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(16) आपके द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी विज्ञापन में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का अनुमोदित मानचित्र, नजूल अनापत्ति, नगर निगम से जारी विकास अनुमति, एवं भवन निर्माण अनुमति एवं भूमि के व्यपवर्तन, संबंधी जानकारी एवं बंधक प्रकोष्ठो/भूखण्डो का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(17) भविष्य मे किसी भी प्रकार के भूमि स्वामित्व सम्बन्धी विवाद, स्वीकृत अभिन्यास से हटकर विकास/उल्लंघन, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर या किसी भी शासकीय विभाग से कोई आपत्ति प्राप्त होने पर तथा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

मुख्य नगर निवेशक
नगर निगम भोपाल

अपर आयुक्त
नगर निगम भोपाल

सक्षम प्राधिकारी एवं अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम, भोपाल

पृष्ठांकन क्र. ..../का.प्रको./2016

भोपाल दिनांक ....

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, भोपाल की ओर अनुमोदित मानचित्र क्रमांक–**बीपीएलएलपी-2485/एल.पी.20/29/नग्रानि/जिका/2016 भोपाल दिनांक 09/08/2016** के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

सक्षम प्राधिकारी एवं अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम, भोपाल